कर्नाटक सरकार व अन्य

बनाम

श्रीमती गौरम्मा व अन्य

14 दिसंबर, 2007

(डॉ अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976: भू मालिक द्वारा पेड काटने की अनुमति के लिए आवेदनःसशर्त अनुमति दी गई- परिवहन अनुमति देते समय सरकार ने कुछ परिवर्तन किए लकड़ी उनके गोदामों में- लकड़ी के हिस्सा की कीमत के लिए मालिक का दावा- निर्धारित परिवहन अनुमति में निर्धारित शर्ताेंं को चुनौती के अभाव में टिकाउ नहीं है।

पूर्वन्यायः तथ्यों पर गौर किए बिना पूर्व निर्णय पर आश्रय लेना निर्धारित उचित नहीं- निर्णय तथ्यों के संदर्भों के रूप में पढ़ा जाए और न ही कानून के प्रावधानों के रूप में- ये दो टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढा जाना चाहिए जिसमें उन्हें कहा गया है- न्यायाधीश विधियों के शब्दों की व्याख्या करें- उनके शब्दों की व्याख्या विधि के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

वादी मुकदमे की जमीन के मालिक हैं। उन्होंने वादग्रस्त भूमि पर लकड़ी और अन्य प्रकार के पेड उगाये थे। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर सिल्वर ओक लकड़ी और अन्य पेडों को काटने और काटने की अनुमति के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी ने अनुमति दे दी। वादी ने पेडों को अनुमति की शर्तों के अनुसार काट गिरा दिया। वादी को परिवहन परमिट जारी करते समय, प्रतिवादी ने कुछ लकड़ी सरकारी डिपो भेजने दिया। वादी द्वारा वसूली के लिए यह मुकदमा दायर किया गया था। वे सरकारी गोदाम पर परिवहन की गई लकड़ी के प्रचलित दरों के मूल्यों के हकदार थे। प्रतिवादी ने यह आधार लिया कि अनुमति सशर्त थी और कभी सशर्त अनुमति के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई थी। और सशर्त अनुमति होने के बाद निर्धारित शर्तों के साथ वादी द्वारा अनुमति स्वीकार की गई, तथा वादी के लिए मूल्य के लिए दावा करना अनुमत नहीं था। निचली अदालत ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि सशर्त अनुमति को चुनौती देने अनुपस्थित में वादी को, परिवहन की गई लकड़ी के मूल्य के लिए दावा करने का कोई आधार नहीं था। उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अपील को इस आधार पर मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय के कुछ निर्णय पर जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षित वृक्षों का स्वामित्व सरकार के पास नहीं था लेकिन जमीन के मालिक के साथ था। इसलिए वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अनुमति शर्तोंे के साथ दी गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि पीडब्ल्यू- 1, जो था वादी के वाद के समर्थन में परीक्षित हुआ उसने यह स्वीकार किया कि विचाराधीन पेड आरक्षित पेड़ थे। निचली अदालत ने इस तथ्य पर यान दिया ओर नोट किया कि पीडब्ल्यू -1 की प्रतिपरीक्षा में उसने विशेष रूप से स्वीकार किया गया कि नंदी के पेड़ आरक्षित पेड़ हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य और इसके पदाधिकारियों को हल्के में खारिज कर दिया कि अनुमति में निर्धारित शर्ताेंं को चुनौती के अभाव में, यह स्वीकार्य नहीं है कि वादी लकड़ी के मूल्य का दावा करते हैं। उच्च न्यायालय ने विवादित फेसले में रिट में दिए गए कुछ फेसलों का उल्लेख किया। (पैरा 8) (944 -बी-डी)

2.1 मामले की पृष्ठभूमि में तथ्यों पर गौर गौर किए बिना निर्णय पर आश्रित होना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। एक निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों के संदर्भ में निर्णयविधि प्रत्येक मामला अपनी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। एक न्यायाधीश ने निर्णय देते समय जो सबकुछ कहा है वह निर्णयविधि नहीं है। न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र आवश्यक चीज वह सिद्वांत है जिसपर मामले का निर्णय दिया जाता है और जो एक पक्षकार को बाध्य बनाता है। इसलिए एक निर्णय का विश्लेषण करना और उसके निर्णय का औचित्य निकालना महत्वपूर्ण है। पूर्व न्याय के सुस्थापित सिद्वांत के अनुसार प्रत्येक निर्णय में तीन आवश्यक अवधारणाएं होती हें।

प निष्कर्षके प्रत्यष्क्ष और आनुसांगिक तात्विक तथ्य। तथ्यों की आनुसांगिक खोज वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष और बोधगम्य तथ्यों से निकालता है। तथ्यों से उत्पन्न हुए विधिक प्रश्नों पर लागू होने वाले विधि के सिद्वांत। उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव पर आधारित निर्णय। किसी निर्णय में जो सार होता है वह उसका सिद्वांत है और ना कि उसमें पाई जाने वाली प्रत्येक टिप्पणी, और ना ही वह जो विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से प्राप्त होता है। सिद्धांत जिसके आधार पर न्यायालय के समक्ष विधिक प्रश्न को निर्धारित किया गया है वही सिद्धांत केवल निर्णय के रूप में बाध्यकारी है। एक मामला पूर्व न्याय के रूप में उसमें दिए गए सिद्धांत के आधार पर ही बाध्यकारी है। न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों उपयोग में लिए गए शब्दों को ऐसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वे संसद के अधिनियम के शब्द हों। पैरा (9 9444 ई- एच945-ए)

उड़ीसा राज्य बनाम सु धांशु शेखर मिश्रा और अन्य **ए आई आर 1968 एस सी 647** एवं भारत संघ व अन्य बनाम धन्वंती देवी और अन्य **(1996) 6 एस सी सी 44** का आश्रय लिया गया।

क्वीन बनाम लिथेम **(1901) ए सी 495 (एच एल)** संदर्भित।

2.2 अदालतों को इस बात पर चर्चा किए बिना कि वास्तविक स्थिति व तथ्य कैसे मेल खाते हैं निर्णयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। न्यायालयों की टिप्पणियां ना तो यूक्लिड प्रमेय के रूप में और ना ही

प्रावधानों के रूप में पढ़ी जानी चाहिए। यह टिप्पणियां उस संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए जिसमें वे बताई गई प्रतीत होेती हैं। किसी कानून के शब्दों वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है लेकिन व्याख्या स्पष्ट करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधि का निर्वचन करते हैं, उनके शब्दों का निर्वचन विधि के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 10) (945 सी ई)

लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्टन**(1951) एसी 737 पेज 761** ; होम ऑफिस बनाम डॉरसेट याच कंपनी **(1970) 2 ऑल ई आर 294** एवं हैरिंगटन ब्रिटिश रेलवे बोर्ड (1972) 2 डब्ल्यू एल आर 537 का संदर्भ लिया गया।

2.3 परिस्थितिजन्य लचीलापन एक अतिरिक्त एवं भिन्न तथ्य दो मामलों के मध्य निष्कर्शों के मध्य बीच का अंतर बना सकते हैं। किसी निर्णय पर आंख मूंदकर भरोसा करने से मामलों का उचित निपटारा नहीं होता है। (पैरा 12) (946-बी)

3. निर्धारित शर्ताेंं के लिए कोई चुनौती नहीं थी एवं यह स्वीकार किया गया कि पेड आरक्षित थे इस स्वीकारोक्ति के प्रभाव की उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से देखने

पर उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है और उसे रद्द किया जाता है। (पैरा 14) (946 एफ जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2874/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.04.2000 से, जो कि नियमित प्रथम अपील संख्या 816/1995 में पारित किया गया।

संजय आर. हेगड़े ओर अमित के. चावला - अपीलार्थियों की ओर से।

एस. एन. भट, एन. पी.एस. पंवार और डी.पी. चतुर्वेदी - प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से।

डॉ अरिजित पासायत, जे.

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय जिसमें प्रत्यर्थी की अपील को अनुमति दी गई, के विरूद्ध चुनौती है।

3. वादी, जो वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी हैं, ने एक दावा दायर किया। 47,965.20 रूपये की राशि की वसूली के लिए, दावा इस आधार पर किया कि जिन पेडों को सरकारी गोदामों पर ले जाया गया था। वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर उन मूल्य पेडों का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा।

4. वादी का मामला, जैसा कि अभिकथनों से निकाला गया है यह है कि वे वाद अनुसूची संपत्ति के मालिक हैं। वादियों ने और उनके पूर्ववर्ती ने बहुत पैसा खर्च करके अनुसूचित भूमि में सिल्वर वुड जंगल की लकड़ी ओर अन्य प्रकार के पेड उगाए थे और उक्त भूमि पर कॉफी की फसल के साथ खेती की। अनुसूची संपति में छाया को नियंत्रित करने के लिए और सिल्वरवुड की लकड़ी जंगल की लकड़ी व अन्य लकड़ी को काटने और गिराने का भी वादी ने अनुमति के लिए आवेदन किया था। सिल्वरवुड जंगल की लकड़ी और अन्य पेडों को काटने और इससे पहले उक्त पेडों को काटने की अनुमति से पहले वन अधिकारियों के साथ-साथ राजस्व सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद, दूसरे प्रतिवादी ने अनुसूची संपतियों में स्थित पेडों की कटाई की अनुमति दी। अनुमति के संदर्भ में, वादी ने पेडों को काटकर गिरा दिया। वादी को परिवहन परमिट जारी करते समय, दूसरे प्रतिवादी ने परिवहन परमिट जारी करने का निर्देश दिया कि पेडों का हिस्सा और 1050 सी. एफ. टी. रूपये 1,31,250 /-मूल्य की लकड़ी वन डिपो हस्तांतरित किया जाये। 22-1/2 मीटर की जलाउ लकड़ी रूपये 10,000/- मूल्य दरों के उसी डिपो में ले जाया गया था। इसलिए, दावा किया गया था कि वादी लकड़ी का / रु. 125/- प्रति सी. एफ. टी. और रु. 150/- प्रति सी. एफ. टी. प्रचलित दरों से मूल्य के हकदार हैं। प्रतिवादियों ने यह आधार लिया कि अनुमति थी और सशर्त अनुमति के लिए कभी कोई चुनौती नहीं गयी थी। शर्ताेंं के

साथ अनुमति स्वीकार करने के बाद वादी के लिए मूल्य के लिए दावा अनुमति योग्य नहीं है। विचारण न्यायाधीश न अन्य बातों के साथ- साथ मुकदमे को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि सशर्त अनुमति के लिए एक चुनौती दिए बिना परिवहन की लकड़ी के मूल्य के लिए वादी द्वारा किया दावा का कोई प्रश्न नही उठता है।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसके द्वारा विवादित निर्णय में वादी के रूख को स्वीकार कर लिया गया। वादी अर्थात वर्तमान उत्तरदाताओं को राहत देने के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षित पेडों के संबंध में पेडों का स्वामित्व सरकार के पास नहीं था बल्कि भू मालिक के पास था पर आश्रित लिया गया कि उपर उल्लेख किया गया है, अपील की अनुमति दी गई थी।

6. अपील के समर्थन में अपीलार्थी राज्य के लिए विद्वान वकील - ने प्रस्तुत किया कि अनुमति कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (संक्षेप में अधिनियम के द्वारा शासित थी) सभी पेडों की कटाई के लिए एक चाहे वे निजी क्षेत्र में स्थित हों या नहीं या सरकारी जमीन पर अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति निर्विवाद रूप से अनुमति की शर्तांे के अधीन है। अनुमति अस्वीकार करने पर अपील करने की कोई अवधारणा नहीं है। ओर एक विशिष्ट शर्त थी जिसमें निर्धारित किया गया था कि एक विशेष

किस्म के 27 पेड जो आरक्षित पेड हैं उन्हें कटाई के बाद सरकारी नाटा गोदाम ले जाना है। इस संबंध में आदेश को कोई चुनौती नहीे थी। चूंकि शर्ताेंं को कोई चुनौती नहीं दी गई थीं, इसलिए उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थियों को राहत नहींे देनी चाहिए थी। वादी ने कुछ निर्णयों पर जो अलग-अलग संदर्भ में दिए गए थेका आश्रय लिया। वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू करने का आधार नहीं था।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि जिन पेडों को काटने की अनुमति दी गई थी आरक्षित पेड थे। इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार की मालिकाना थी। सरकार का स्वामित्व केवल चंदन के पेडों पर तक ही सीमित है। इस संबंध में 1963 के अधिनियम के प्रावधानों का आश्रय लिया।

8. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अनुमति शर्तोंेंं के साथ दी गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि पीडब्ल्यू- 1, जो था वादी के वाद के समर्थन में परीक्षित हुआ उसने यह स्वीकार किया कि विचाराधीन पेड आरक्षित पेड़ थे। निचली अदालत ने इस तथ्य पर यान दिया ओर नोट किया कि पीडब्ल्यू -1 की प्रतिपरीक्षा में, उसने विशेष रूप से स्वीकार किया गया कि नंदी के पेड़ आरक्षित पेड़ हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य और इसके पदाधिकारियों को हल्के में खारिज कर दिया कि अनुमति में निर्धारित शर्ताेंं को चुनौती के अभाव में यह स्वीकार्य नहीं है कि वादी

लकड़ी के मूल्य का दावा करते हैं। उच्च न्यायालय ने विवादित फेसले में रिट में दिए गए कुछ फेसलों का उल्लेख किया।

9. मामले की पृष्ठभूमि में तथ्यों पर गौर गौर किए बिना निर्णय पर आश्रित होना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। एक निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों के संदर्भ में निर्णयविधि प्रत्येक मामला अपनी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। एक न्यायाधीश ने निर्णय देते समय जो सबकुछ कहा है वह निर्णयविधि नहीं है। न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र आवश्यक चीज वह सिद्वांत है जिसपर मामले का निर्णय दिया जाता है और जो एक पक्षकार को बाध्य बनाता है। इसलिए एक निर्णय का विश्लेषण करना और उसके निर्णय का औचित्य निकालना महत्वपूर्ण है। पूर्व न्याय के सुस्थापित सिद्वांत के अनुसार प्रत्येक निर्णय में तीन आवश्यक अवधारणाएं होती हैं।

1. निष्कर्ष के प्रत्यक्ष और आनुसांगिक तात्विक तथ्य। तथ्यों की आनुसांगिक खोज वह निष्कर्श है जो न्यायाधीष प्रत्यक्ष और बोधगम्य तथ्यों से निकालाता है।

2. तथ्यों से उत्पन्न हुए विधिक प्रश्नों पर लागू होने वाले विधि के सिद्वांत।

3. उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव पर आधारित निर्णय। किसी निर्णय में जो सार होता है वह उसका सिद्वांत है और ना कि उसमें पाई जाने वाली प्रत्येक टिप्पणी, और ना ही वह जो विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से

प्राप्त होता है। सिद्धांत जिसके आधार पर न्यायालय के समक्ष विधिक प्रश्न को निर्धारित किया गया है वही सिद्धांत केवल निर्णय के रूप में बाध्यकारी है। एक मामला पूर्व न्याय के रूप में उसमें दिए गए सिद्धांत के आधार पर ही बाध्यकारी है। न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों उपयोग में लिए गए शब्दों को ऐसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वे संसद के अधिनियम के शब्द हों।

10. अदालतों को इस बात पर चर्चा किए बिना कि वास्तविक स्थिति व तथ्य कैसे मेल खाते हैं निर्णयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। न्यायालयों की टिप्पणियां ना तो यूक्लिड प्रमेय के रूप में और ना ही प्रावधानों के रूप में पढ़ी जानी चाहिए। यह टिप्पणियां उस संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए जिसमें वे बताई गई प्रतीत होेती हैं। किसी कानून के शब्दों वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है लेकिन व्याख्या स्पष्ट करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधि का निर्वचन करते हैं, उनके शब्दों का निर्वचन विधि के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

11. होम ऑफिस बनाम डॉरसेट यॉट कंपनी (1970) 2 ऑल ईआर 294 में लॉर्ड रीड ने कहा "लॉर्ड एटकिन के भाषण को...ऐसा नहीं माना जाएगा जैसे कि यह एक कानूनी परिभाषा थी। इसके लिए नई योग्यता की

आवश्यकता होगी परिस्थितियां।" मेगर्री, जिन (1971)। डब्ल्यूआर 1062 ने कहा:

"किसी को निश्चित रूप से रसेल एल. जे. के. आरक्षित निर्णय का भी यह अर्थ नहीेंं लगाना चाहिए जैसे कि यह एक अधिनियम था संसद।" और हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, (1972) डब्ल्यूआर 537 में लॉर्ड मॉरिस ने कहाः "किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को ऐसे मानने में हमेशा जोखिम होता है जैसे कि वे किसी विधायी अधिनियम में शब्द हों, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की सेटिंग में किए गए हैं।

12. परिस्थितिजन्य लचीलापन एक अतिरिक्त एवं भिन्न तथ्य दो मामलों के मध्य निष्कर्शों के मध्य बीच का अंतर बना सकते हैं। किसी निर्णय पर आंख मूंदकर भरोसा करने से मामलों का उचित निपटारा नहीं होता है।

13. उदाहरणों को लागू करने के मामले में लॉर्ड कैनिंग के निम्नलिखित शब्द लोकस क्लासिकस बन गए हैंः

"प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले और दूसरे मामले के बीच घनिष्ठ समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है, ऐसे मामलों का निर्णय लेने में, किसी को मामलों का निर्णय करने के प्रलोभन से बचना

चाहिए (जैसा कि कॉर्डोजो ने कहा था) एक केस के रंग को दूसरे केस के रंग से मिला कर। इसलिए यह तय करने के लिए कोई केस लाइन के किस तरफ पड़ता है, दूसरे केस में व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।

पूर्वन्यायः का पालन केवल तभी तक किया जाना चाहिए जब तक यह न्याय के मार्ग को चिन्हित करता है, आपको मृत लकड़ी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप खुद को झाड़ियों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे। मेरी विनती है कि न्याय का मार्ग स्पष्ट रखा जाए रूकावटें जो इसमें बाधा डाल सकती हैं।"

14. निर्धारित शर्तों के लिए कोई चुनौती नहीं थी एवं यह स्वीकार किया गया कि पेड आरक्षित थे इस स्वीकारोक्ति के प्रभाव की उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है और उसे रद्द किया जाता है।

डी जी

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।